हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

अष्टम् सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 64

मंगलवार, 18 मार्च, 2025/27 फाल्गुन, 1946(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने जैसे ही प्रश्न काल आरंभ करने की घोषणा की, नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने व्यवस्था के प्रश्न का हवाला देते हुए अपनी बात रखने की अनुमति मांगी, जिस पर माननीय अध्यक्ष ने उन्हें प्रश्नकाल के उपरान्त अपनी बात रखने के लिए कहा।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्नः 2205 (स्थगित) तथा तारांकित प्रश्नः 2520 व 2522 से 2527 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्नः 2521 के उत्तर पर मोहन लाल ब्राक्टा (प्राधिकृत) द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर

दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 2528 से 2575 के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1010(स्थगित) तथा 1122 से 1145 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अध्यक्ष द्वारा सूचना

"**माननीय सदस्य श्री संजय रत्न** ने अपने जन्म-दिवस के उपलक्ष्य में आज दिनांक 18 मार्च, 2025 को सभी माननीय सदस्यों के लिए विधान सभा के पुस्तकालय कक्ष में दोपहर के भोजन की व्यवस्था की है। अतः आप सभी माननीय सदस्यगण सादर आमंत्रित हैं।"

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय मुख्य मंत्री ने हाल ही में पूर्व विधायक श्री बम्बर ठाकुर पर हुए हमले की घटना बारे वक्तव्य दिया।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री जय राम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष ने व्यवस्था के प्रश्न का हवाला देते हुए पूर्व विधायक श्री बम्बर ठाकुर पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि अभी इस मामले की जांच चल रही है लेकिन पूर्व विधायक द्वारा इस संबंध में जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के लोगों द्वारा हिमाचल में फैलाई जा रही अव्यवस्था बारे व हाल ही में मनाली डिपो की एक बस को पंजाब या दिल्ली में किसी स्थान पर तलवारें लेकर रूकवाने बारे भी विषय उठाया। इसके अलावा उन्होंने HPPCL के मुख्य अभियन्ता के लापता होने से संबंधित विषय भी उठाया।

माननीय मुख्य मंत्री ने सभी मामलों पर उचित कार्रवाई करने की बात कही।

शून्य काल

माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज ने उनके क्षेत्र में चल रही जल विद्युत परियोजना वी0बी0 हाइड्रो में स्थानीय लोगों को रोज़गार न मिलने बारे विषय उठाया, जिस पर माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि कम्पनी से इस बारे में बातचीत की जाएगी।

2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

3. कागज़ात सभा पटल पर

डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम अधिनियम, 1979 की धारा 23 (6) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम का वार्षिक प्रशासनिक विवरणिका, वर्ष 2023-24 की प्रति सभा पटल पर रखी।

4. सदन की समिति के प्रतिवेदन

श्री किशोरी लाल, सभापति, लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2024-25) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(1) समिति का 17वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) (वर्ष 2018-19) 31 मार्च, 2019 के ऑडिट पैरा संख्याः 4.27 की समीक्षा पर आधारित

तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से सम्बन्धित है; और

(2) समिति का 18वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) (वर्ष 2018-19) 31 मार्च, 2019 के ऑडिट पैरा संख्याः 4.28 की समीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से सम्बन्धित है।

5. वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए बजट अनुमान - सामान्य चर्चा

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री जय राम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष

(**12.30 बजे अपराह्न उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।**)

(**12.35 अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।**)

नेता प्रतिपक्ष द्वारा चर्चा के दौरान जी0एस0टी0 के बारे में ज़िक्र करने पर माननीय मुख्य मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की।

(**01.35 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.35 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।**)

(**भोजनावकाश के उपरान्त 02.40 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।**)

आगे चर्चा जारी -

2. श्री आशीष बुटेल

माननीय सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान टी (Tea) टूरिज्म पॉलिसी का ज़िक्र करने पर माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि यह पॉलिसी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है बल्कि सभी लाभार्थियों के लिए है।

3. डॉ0 हंस राज
4. श्री राम कुमार

(03.30 बजे अपराह्न उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

5. श्री इन्द्र सिंह
6. श्री भवानी सिंह पठानिया
7. श्रीमती रीना कश्यप
8. श्री किशोरी लाल

(सायं 05.00 बजे सदन की बैठक का समय 06.00 बजे तक बढ़ाया गया।)

9. श्री दलीप ठाकुर
10. श्री विवेक शर्मा(विक्कू)
11. श्री डी0एस0 ठाकुर
12. कैप्टन रणजीत सिंह राणा
13. श्री दीप राज

(सायं 06.00 बजे सदन की बैठक का समय 06.20 बजे तक बढ़ाया गया।)

14. श्री लोकेन्दर कुमार

(सायं 6.20 बजे सदन की बैठक का समय 06.30 बजे तक बढ़ाया गया।)

06.30 बजे सायं सदन की बैठक बुधवार, 19 मार्च, 2025 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।